

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2010-2012.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2010 – कार्तिक 4, शक 1932

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

रायपुर दिनांक 26 / 10 / 2010

अधिसूचना

क्रमांक. 31 / सी.एस.ई.आर.सी. / 2010 – विद्युत अधिनियम 2003 (36 का 2003) (एतद् पश्चात् अधिनियम) की धारा 181(2)(जी) एवं धारा 32 (3) द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अन्य अधीन शक्तियों के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग अधिनियम की धारा 31 (2) के अधीन गठित राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) / गठित होने वाली छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कंपनी (सी.एस.पी.एस.ओ.सी.) द्वारा, प्रभारित एवं संग्रहीत किये जाने वाले शुल्क एवं प्रभार के विनिर्दिष्ट

एवं धारा 32 की उपधारा (3), के अधीन संबंधित अन्य विषयों के लिए, एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ

- (1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2010 कहलायेंगे।
- (2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. प्रयोज्यता एवं उपयोगिता की सीमा

- (1) ये विनियम, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु लागू होंगे, जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा, राज्य में विद्युत का पारेषण करने वाली उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों पर लगाया व उनसे वसूला जावेगा।
- (2) ये विनियम, विद्युत के एकल (Stand alone system), उत्पादकों फ्रेंचाईजी, सामूहिक उपभोक्ताओं और केप्टिव उपयोगकर्ताओं को लागू नहीं होंगे। ये विनियम ऐसे उत्पादकों, उत्पादन केंद्रों और अनुज्ञप्तिधारियों को भी लागू नहीं होंगे, जिनका विनियोजन मापन तथा ऊर्जा लेखांकन, राज्य भार प्रेषण केंद्र आदि द्वारा संयोजित नहीं किया जाता।

3. परिभाषाएँ

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में: –

- (1) “अधिनियम” अर्थात् विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 क्रं.36);
- (2) “अतिरिक्त पूंजीकरण” अर्थात् परियोजना के व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि के पश्चात् किया गया अथवा करने हेतु प्रस्तावित पूंजीगत व्यय जिसे आयोग द्वारा परीक्षणों के उपरांत स्वीकार किया जाये;
- (3) **अंकेक्षक** – अर्थात् कोई अंकेक्षक, जिसकी नियुक्ति राज्य भार प्रेषण केन्द्र/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी द्वारा की जावे तथा जो अंकेक्षक नियुक्ति की पात्रता, कम्पनी अधिनियम 1956 (1 का 1956) की धारा 224 धारा 233 B या धारा 619 या अन्य विधि जो तत्समय में प्रभावशील हो, के प्रावधानों अनुसार पूरी करता हो;
- (4) **पूँजीगत व्यय** – का तात्पर्य उस पूंजी व्यय से है, जो कि विनियम 6 में दी गई परिभाषा के अनुरूप हैं;
- (5) **पूँजी व्यय योजना** – (केपेक्स) का तात्पर्य पूँजीगत प्रकृति के उन व्ययों से है, जो एस.एल.डी.सी./सी.एस.पी.एस.ओ.सी के पूंजी के निर्माण हेतु नियंत्रण अवधि के दौरान व्यय किये जाने हेतु प्रस्तावित की जावे।
- (6) **प्रभार** – का तात्पर्य उन आवर्ती तथा मासिक भुगतान के संकलन से है, जो कि एस.एल.डी.सी./सी.एस.पी.एस.ओ.सी द्वारा किया जावे।

- (7) **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी (सी.एस.पी.एस.ओ.सी.)** का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है, जो अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुरूप एस.एल.डी.सी के संचालन में रत् हो;
- परंतु, जब तक कि राज्य शासन द्वारा कोई शासकीय कंपनी अथवा अन्य प्राधिकारी या निगम अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक राज्य पारेषण उपक्रम अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, एस.एल.डी.सी का संचालन करेगी।
- (8) **आयोग** का तात्पर्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से है, जो कि अधिनियम की धारा 82 की उप धारा (1) के अंतर्गत गठित है।
- (9) **अनुबंधित क्षमता** से तात्पर्य, क्षमता की उस सीमा से है, जिस तक मुक्त उपयोग (सुगम्यता) हेतु अनुबंध किये गये हो।
- (10) **नियंत्रण अवधि** से तात्पर्य, तीन साल की उस अवधि से है, जिसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2011-12 से हो तथा उसका विस्तार उस सीमा तक किया जा सकेगा, जैसा कि आयोग निश्चय करे। पश्चात्वर्ती नियंत्रण अवधियों का निर्धारण आयोग द्वारा समय-समय पर किया जावेगा।
- (11) **दिवस/दिन** से तात्पर्य 24 घण्टे की उस अवधि से है, जिसका प्रारंभ 00:00 घण्टे से हो।
- (12) **“आरोपित किया गया व्यय** से तात्पर्य, वास्तव में लगाये गये धन, चाहे वह अंश पूँजी हो अथवा ऋण या दोनों हो, से है, और जो किसी उपयोगी संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु, नगद या उसके समतुल्य, अदा की गई हो, परंतु उसमें

ऐसे वचन या उत्तरदायित्व सम्मिलित नहीं है, जिनके लिए कोई भुगतान न किया गया हो।

- (13) **“शुल्क”** का तात्पर्य, राज्य भार प्रेषण केंद्र/सी.एस.पी.ओ.सी द्वारा स्वयं के लिये अथवा किसी अन्य खाते हेतु, संग्रहीत राशि से है, जो एक मुश्त अथवा नियत वार्षिक राशि हो सकती है, जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जावे,
- (14) **“राज्य के अंतर्गत क्रेता”** का तात्पर्य, उस वितरण अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यापारी या प्रचुर मात्रा में विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ता अथवा केंप्टिव विद्युत उपभोक्ता जो मुक्त उपयोग (सुगम्यता) द्वारा, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/या वितरण तंत्र का उपयोग करते हुए विद्युत प्राप्त करता हो, से है, और इसमें ऐसा तंत्र भी सम्मिलित है, जो उपयोग किये जाते समय अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र से संयोजित हो, परंतु उसके उपयोग की तालिका, ऊर्जा का मापन तथा लेखा-जोखा राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा संचालित किया जाता हो।
- (15) **“राज्यांतरिक व्यक्तित्व”** का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है, जिनकी सूचीबद्धता, ऊर्जा का मापन तथा लेखा-जोखा राज्य स्तर पर किया जाता हो।
- (16) **“राज्यांतरिक बाज़ार का संचालन”** के अंतर्गत तालिका बनाना, ऊर्जा का प्रेषण, मापन, ऑकड़ों का संग्रहण, लेखा-जोखा और व्यवस्थापन, पारेषण हानि का परिगणन तथा उसका बंटवारा, सामूहिक खाते एवं संकुलता प्रभार खाते का संचालन, संयोजित सेवाओं का प्रशासन, सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा अन्य

सभी कृत्य सम्मिलित है, जो अधिनियम द्वारा, अथवा आयोग के विनियमों एवं आदेशों द्वारा राज्य भार प्रेषण केंद्र को सौंपे गये हो।

- (17) **“राज्य के अंतर्गत विक्रेता”** का तात्पर्य, केप्टिव उत्पादन केंद्र सहित सभी विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत व्यापारी, जो राज्यांतरिक पारेषण तंत्र ओर/या वितरण तंत्र के द्वारा मुक्त उपयोग (सुगम्यता) के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति करते हैं, और इसमें ऐसा तंत्र भी सम्मिलित है, जो उपयोग किये जाते समय अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र से संयोजित हो, परंतु उसके उपयोग की तालिका, ऊर्जा का मापन तथा लेखा— जोखा राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा संचालित किया जाता हो।
- (18) **“राज्यांतरिक उपयोगकर्ता”** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसका विद्युत संयंत्र 33 के.व्ही अथवा अधिक के वोल्टेज स्तर पर राज्य ग्रिड से संयोजित हो, जैसाकि केप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित किसी उत्पादन संयंत्र अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (केंद्रीय पारेषण उपक्रम अथवा राज्य पारेषण उपक्रम से ईतर) या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या केप्टिव उपयोगकर्ता सहित प्रचुर मात्रा में विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ता का होता है।
- (19) **“अनुज्ञप्तिधारी”** से तात्पर्य उस व्यक्ति से हैं, जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हैं।
- (20) **“दीर्घावधि”** का तात्पर्य उस अवधि से हैं, जो 12 वर्ष या उससे अधिक हो।
- (21) **“मध्यम अवधि”** का तात्पर्य उस अवधि से है, जो एक वर्ष से अधिक हो परन्तु सात वर्ष से अधिक न हो।

- (22) “राज्य संकोष खाता” से तात्पर्य राज्य के उन खातों से है जो अनधिसूचित अन्तर्परिवर्तनों (यूआई एकाउंट) अथवा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा परिवर्तनों (रिएक्टिव एनर्जी एकाउंट) या ऐसे किन्हीं अन्य खातों, जिनका संचालन आयोग के विनियमों अथवा निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा किया जाता हो।
- (23) “राज्य भार प्रेषण केंद्र या एस.एल.डी.सी.” से तात्पर्य अधिनियम धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित केन्द्र से है।
- (24) “राज्य तंत्र संचालन का कृत्य” में ग्रिड संचालनों की मनिटरिंग, राज्यांतर्गत पारेषण तंत्र पर नियंत्रण तथा अधीक्षण, ग्रिड नियंत्रण हेतु वास्तविक समय संचालन और ग्रिड नियंत्रण एवं प्रेषण, ग्रिड व्यवधान के पश्चात् तंत्र का पुर्नस्थापना, तंत्र संचालन से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण तथा प्रस्तुतिकरण संकुलता प्रबंध, ब्लैकस्टार्ट का समन्वय और अन्य कृत्य जो अधिनियम और/या आयोग के विनियमों और/अथवा आदेशों द्वारा राज्यभार प्रेषण केंद्र को सौंपे जाए।
- (25) “योजना” से तात्पर्य उन सुविधाओं और उपकरणों से है जो राज्यभार प्रेषण केंद्र से संयोजित हो अथवा उसमें स्थापित हो और उसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित है:—
- (i) कम्प्यूटर प्रणाली हाडवेयर और साफ्टवेयर।
 - (ii) ऑक्जिलरी विद्युत आपूर्ति तंत्र जिसमें अबाधित विद्युत आपूर्ति, डीजल जनरेटिंग सेट और डी.सी विद्युत तंत्र भी सम्मिलित हैं।

- (iii) सामान्य दूरभाष, फेक्स (दूर संचार प्रणाली) और अन्य ऑफ लाइन संचार प्रणाली ।
- (iv) अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे वातानुकूलक, अग्नि शामक और भवनों का निर्माण तथा नवीनीकरण ।
- (v) “अन्य नवीनीकरणीय योजनाएँ आरएमडी” परियोजनाएं तथा बेहतर तंत्र संचालन हेतु पाईलट परियोजनाएं (Pilot Project) जैसे सिंक्रोफेजर (Synchrophaser) तंत्र सुरक्षा योजना (System Protection System) आदि ।
- (vi) राज्य भार प्रेषण केंद्रों के लिए नियंत्रण केंद्रों का समर्थन करना
- (vii) चौकसी करता हुआ कैमरा प्रणाली (Surveillance Camera System) । और
- (viii) साईबर सुरक्षा/बचाव प्रणाली ।
- (26) “वर्ष” से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से हैं ।
- (27) इन विनियमों में प्रयुक्त उन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, जो इसमें ऊपर परिभाषित नहीं किये गये हैं, परन्तु अधिनियम अथवा राज्य ग्रिड संहिता या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किन्ही अन्य विनियमों में परिभाषित किये गये हों, उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या राज्य ग्रिड संहिता या उस अन्य विनियम में हो, बशर्ते कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ।

अध्याय 2

शुल्क एवं प्रभार निर्धारण हेतु आवेदन एवं प्रक्रिया तथा राज्य

प्रेषण केंद्र विकास निधि

4. शुल्क एवं प्रभार निर्धारण हेतु आवेदन

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में, नियंत्रण अवधि के लिए पूँजीगत व्ययों के आधार पर, और अंकेक्षकों द्वारा विधिवत् प्रमाणित किए गए व्यय एवं उस नियंत्रण अवधि के दौरान केपेक्स योजना में प्रस्तावित व्यय, शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु, एक आवेदन उन आवश्यक विवरणों सहित, जो वार्षिक प्रभारों की गणना में सहायक हो, आयोग के समक्ष, प्रस्तुत करेगी।
- (2) यह आवेदन पत्र राज्य भार प्रेषण केंद्र के, नियंत्रण अवधि के लिए बनी पूँजीगत व्यय योजना के साथ प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा निवेश के लिए कोष की उपलब्धता के स्रोतों की जानकारी भी दी जावेगी। आयोग प्रस्तुत पूँजीगत व्यय योजना की सावधानीपूर्वक जांच करेगा और उसे शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण के साथ अनुमोदित करेगा।
- (3) आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के पूर्व आवेदक उसकी एक-एक प्रति ऐसे प्रत्येक राज्यांतरिक व्यक्तित्व को प्रदान करेगा जो राज्य प्रभार प्रेषण केंद्र से दीर्घावधिक सेवाएं ले रहे हैं।

- (4) आवेदक अपने संपूर्ण आवेदन पत्र को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व अपनी वेबसाईट में प्रदर्शित करेगा और उसे वेबसाईट में तब तक बनाये रखेगा, जब तक कि आयोग द्वारा उसका निराकरण नहीं कर दिया जाता।
- (5) आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक यह भी सूचित करेगा कि उसके आवेदन की संपूर्ण प्रतिलिपि, ऐसे सभी राज्यांतरिक व्यक्तित्वों को, जो राज्य भार प्रेषण केंद्र से दीर्घावधिक सेवाएं ले रहे हैं, उपलब्ध करा दी गई है और यह उसके वेबसाईट में भी प्रदर्शित कर दी गई है। उस वेबसाईट का पता भी साथ में दिया जावेगा।
- (6) प्रस्तुत आवेदन पत्र उस व्यक्ति के शपथ पत्र द्वारा, जो इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, द्वारा अधिकृत किया गया हो, जिसे उन तथ्यों की जानकारी भी है, जो आवेदन पत्र में समाहित हो।
- (7) आवेदक, आयोग के निर्देश पर, आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, 7 दिनों के भीतर अपने आवेदन पत्र के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना कम से कम एक अंग्रेजी के और एक हिंदी के समाचार पत्रों सहित, दो ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा, जिनका विस्तार उन क्षेत्रों में हो, जिसमें राज्यांतरिक व्यक्तित्व (intra-State entities) रहते हो। यह सूचना ऐसे प्रारूप में, जो आयोग द्वारा अनुमोदित हो, प्रकाशित की जावेगी।

5. वार्षिक फीस एवं संचालन व्यय का समालोचन (truingup) करना

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में आगामी वर्ष के 31 अक्टूबर तक चालू वर्ष के कार्य प्रदर्शन के पुनर्विलोकन सहित, एक आवेदन पत्र, समालोचन की प्रक्रिया करने हेतु प्रस्तुत करेगी।
- (2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, समालोचन हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ वर्षवार पूँजीगत व्यय, जिसमें अतिरिक्त पूँजीगत व्यय भी शामिल है, वित्त उपलब्धता के स्रोतों, मानव संसाधन पर व्यय संचालन एवं संधारण व्यय इत्यादि, जो वहन किया गया हो, तथा अंकेक्षकों द्वारा उपयुक्त रीति से अंकेक्षित एवं प्रमाणित किया गया हो, का विवरण भी प्रस्तुत करेगी।
- (3) आयोग वार्षिक समालोचन का कार्य पूरा करेगा। आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के उपरांत किसी वर्ष में वसूल किये गये शुल्क एवं प्रभारों का समालोचन किया जायेगा और आगामी वर्ष के लिए शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण पर विचार किया जावेगा।
- (4) जब कभी इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क एवं प्रभारों की राशि से वसूल की गई राशि समालोचन के पश्चात् अधिक पाई जावे, तब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, इस तरह वसूल की गई आधिक्य की राशि को उन राज्यांतरिक व्यक्तित्वों को वापस करेगा जिन्होंने उसका भुगतान किया हो। ऐसी वापसी करते समय, आयोग द्वारा आगामी वर्ष के लिए जारी किये गये आदेश, का क्रियान्वयन किया जावेगा अथवा ऐसी रीति अपनाई जावेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित की जावे।

- (5) जब कभी इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क एवं प्रभारों की राशि से वसूल की गई राशि समालोचन के पश्चात् कम पाई जावे तब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, इस तरह कम वसूली गई राशि की भरपाई उन राज्यांतरिक व्यक्तित्वों से करेगी जिन्होंने उसका भुगतान किया हो। ऐसी वसूली करते समय, आयोग द्वारा आगामी वर्ष के लिए जारी किये गये आदेश, का क्रियान्वयन किया जावेगा अथवा ऐसी रीति अपनाई जावेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित की जावे।

6. पूंजीगत लागत

- (1) राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए पूंजीगत लागत में, नियंत्रण अवधि के दौरान वहन किया गया व्यय अथवा व्यय करने हेतु प्रस्तावित राशि, जिसमें निर्माण कार्य के दौरान देय ब्याज, वित्तीय प्रभार, विदेशी विनियमय दर परिवर्तन के लेखे कोई अन्य अभिप्राप्तियां अथवा हानियां और केपेक्स योजना की दिशा में निर्माण के दौरान होने वाले अन्य प्रासंगिक व्यय भी सम्मिलित होंगे।

परन्तु उन संपत्तियों का मूल्य जो उपयोग में नहीं हो, पूंजीगत लागत का भाग नहीं होगी।

- (2) आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के उपरांत स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत प्रभारों के निर्धारण का आधार होगी।

परन्तु सावधानीपूर्वक जांच में, पूंजीगत व्यय की तर्कसंगतता का सूक्ष्म परीक्षण, वित्त प्रबंध योजना, आई.डी.सी, आई.ई.डी.सी, दक्ष तकनीकी का उपयोग, परियोजना

लागत में वृद्धि, परियोजना की समयावधि में वृद्धि और ऐसे अन्य विषय, जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाये, सम्मिलित होंगे।

परंतु यह भी कि, प्रभारों के निर्धारण का आधार, राज्य भार प्रेषण केंद्र की लेखा पुस्तकों में, नियंत्रण अवधि के लिए अनुमोदित केपेक्स योजना के साथ, अंतरण के दिन प्रविष्ट की गई पूंजीगत लागत होगी।

7. अतिरिक्त पूंजीकरण

व्यवसायिक परिचालन के दिनांक के पश्चात् वहन किया गया अथवा वहन हेतु प्रस्तावित पूंजीगत व्ययों को आयोग द्वारा अपने स्वविवेक से सावधानीपूर्वक जांच के अधीन स्वीकार किया जा सकेगा।

परंतु मामूली वस्तुओं अथवा संपत्ति जैसे कि, औजारों एवं साधनों, फर्नीचर, एयरकंडीशनर्स, वोल्टेज-स्टेबलाईजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, पंखे, वाशिंग मशीन्स, हीट-कंवर्टर्स, गद्दे, कारपेट्स इत्यादि परिसंपत्तियों के अर्जन पर व्यवसायिक परिचालन के दिनांक के पश्चात् किया गया कोई भी व्यय, शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु, अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में विचारणीय नहीं होगा।

8. ऋण तथा अंशपूँजी का अनुपात

(1) अंतरण के दिनांक को लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट वास्तविक ऋण तथा अंश पूँजी का अनुपात राज्य भार प्रेषण केंद्र के प्रारंभिक पूँजीगत व्यय के रूप में मान्य किया जावेगा।

(2) अंतरण के दिनांक को अथवा उसके पश्चात्, किये गये किसी निवेश के लिए, यदि वास्तव में निवेशित की गई अंशपूँजी, पूँजीगत लागत के 30% से अधिक हो तो वह पूँजी जो 30% से अधिक पाई जावे, मानक ऋण के रूप मान्य की जावेगी।

परंतु जहां वास्तव में निवेशित अंशपूँजी, पूँजीगत लागत के 30% से कम हो तो वह वास्तविक अंशपूँजी प्रभारों के निर्धारण हेतु मान्य की जावेगी।

परंतुक यह भी की विदेश मुद्रा में निवेशित अंशपूँजी को प्रत्येक निवेश के दिनांक पर भारतीय रूपये में अभिहित किया जावेगा।

स्पष्टीकरण

यदि अंशपूँजी जारी करते समय, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, द्वारा प्राप्त किसी प्रीमियम, और अपने मुक्त संचित निधि में से निर्मित आंतरिक स्रोतों का निवेश, पूँजीगत व्यय की धनपूर्ति हेतु, उसके द्वारा किया जावे एवं आयोग द्वारा यथा अनुमोदित राज्य भार प्रेषण केंद्र विकास निधि में से निर्मित निधियों को, पूँजी पर अधिप्राप्तियों की गणना के उद्देश्य से, प्रदत्त पूँजी के रूप में, परिगणित किया जावेगा, बशर्ते कि पूँजीगत व्यय की पूर्ति हेतु ऐसी प्रीमियम की राशि तथा आंतरिक स्रोतों का वास्तविक उपयोग किया गया हो।

9. राज्य भार प्रेषण केन्द्र विकास निधि

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, एक पृथक निधि, जिसे "राज्य भार प्रेषण केन्द्र विकास निधि" कहा जावेगा, का निर्माण एवं संधारण करेगी।
- (2) इस निधि में, अंशपूँजी पर अधिप्राप्तियों के प्रभारों, जमा पूँजी पर ब्याज, अवमूल्यन एवं राज्य भार प्रेषण केंद्र के अन्य आय जैसे पूँजीकरण शुल्क, आवेदन शुल्क, अल्पावधिक मुक्त उपयोग (सुगम्यता) प्रभार का 50%, जो राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा राज्यांतरिक व्यक्तित्वों से तत्संबंध में वसूला जावे, इत्यादि जमा किये जावेंगे।
- (3) इस निधि में जमा धन का उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, द्वारा आयोग का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर ऋण वापसी, ब्याज के रूप में प्राप्त पूँजी और लाभांश के भुगतान के सेवार्थ, परिसंपत्तियों के निर्माण में लगी अंशपूँजी की पूर्ति एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने पर अंतर की राशि (Margin money) के रूप तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र के आर एंड डी परियोजनाओं को धनापूर्ति हेतु किया जावेगा।
- (4) इस निधि का उपयोग किसी अन्य राजस्व व्यय के लिए नहीं किया जावेगा।
- (5) इस निधि में जमा धन के उपयोग से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, द्वारा बनाई गई परिसंपत्तियों को, अंशपूँजी पर अधिप्राप्तियों एवं ऋण पर ब्याज की गणना के लिए मान्य नहीं किया जावेगा।
- (6) आयोग इस निधि की स्थिति का पुनर्विलोकन प्रतिवर्ष अप्रैल/मई के महीने में करेगा।

अध्याय—3

वार्षिक प्रभारों की संगणना

10. वार्षिक प्रभार

एस.एल.डी.सी. को देय वार्षिक प्रभार तंत्र संचालन प्रभार एवं बाजार संचालन प्रभार के रूप में संग्रहीत किया जावेगा। ये वार्षिक प्रभार राज्यांतरिक मुक्त उपयोग ग्राहकों अल्पावधिक वालों को छोड़कर (Intra-State entities other than short-term open access customers) प्रचुर मात्रा में उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं और केप्टिव उपयोगकर्ताओं पर लगाये व वसूले जावेंगे। इसके अतिरिक्त ये वार्षिक प्रभार उनसे भी संग्रहीत नहीं किये जा सकेंगे, जिन पर विनियम 2(2) के प्रावधानों के अनुसार ये विनियम लागू नहीं होते।

11. वार्षिक प्रभारों के अवयव —ये वार्षिक प्रभार निम्नलिखित अवयवों से मिलकर बनेंगे:—

- (a) पूँजी पर अधिप्राप्तियां
- (b) ऋण पूँजी पर ब्याज
- (c) अवमूल्यन (मूल्यह्रास)
- (d) मानव संसाधन से संबंधित खर्च को छोड़ कर संचालन एवं संधारण व्यय

- (e) मानव संसाधन से संबंधित खर्च, प्रशासकीय व सामान्य खर्च
- (f) क्रियाशील पूँजी पर ब्याज
- (g) विविध प्रभार (अन्य प्रभार यदि कोई हो तो)

12. पूँजी पर अधिप्राप्तियां

(1) पूँजी पर अधिप्राप्तियों की गणना, इन विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुरूप, अंश पूँजी के आधार पर, रूपयों में निर्धारित की जावेगी।

(2) पूँजी पर अधिप्राप्तियों की गणना, इन विनियमों के विनियम 12(3) में दिये प्रावधानों के अनुरूप, कर-पूर्व आधार-दर (Pre tax based rate) पर अधिकतम 15.5 % की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए की जावेगी।

(3) पूँजी पर अधिप्राप्तियों की गणना, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, पर लागू होने वाले नियंत्रण अवधि के किसी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आधार दर, उस वित्तीय वर्ष हेतु घोषित सामान्य कर दर के अनुरूप परिगणित कर, की जावेगी।

परंतु, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, पर लागू होने वाली नियंत्रण अवधि के दौरान, संबंधित वित्त अधिनियमों के प्रावधानों अनुरूप, कंपनी पर लगने वाले वास्तविक कर दर के अनुसार, पूँजी पर अधिप्राप्तियों को, उस नियंत्रण अवधि के अंत में, समालोचित किया जायेगा।

(4) पूँजी पर अधिप्राप्तियों को, दशमलव के तीन अंको तक (दशमलव के बाद के अंतिम अंक को उसके निकटतम पूर्णांक में दर्शाते हुए) प्रदर्शित करते हुए निम्नलिखित सूत्र के द्वारा परिगणित किया जावेगा:—

कर के पूर्व पूंजी पर अधिप्राप्तियों की दर = आधार दर / (1-t)

जहाँ t से तात्पर्य उपरोक्त उप खण्ड (3) के अनुसार लागू कर दर से है।

13. ऋण पूंजी पर ब्याज

(1) विनियम (8) के आधार पर निर्धारित ऋण को ब्याज की गणना हेतु, सकल मानक ऋण माना जावेगा।

(2) नियंत्रण अवधि के प्रथम वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अवशेष सकल मानक ऋण का परिगणन, उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक किये गये ऋण वापसी के उस सकल योग जिसे आयोग ने मान्य किया हो, और सकल मानक ऋण, के अंतर से किया जायेगा।

(3) नियंत्रण अवधि के संबंधित वर्ष का पुर्नभुगतान उस वर्ष के लिए स्वीकार्य अवमूल्यन(मूल्यह्रास) के बराबर माना जावेगा।

(4) वास्तविक ऋण पोर्टफोलियों (Portfolio) के आधार पर परिगणित भारित औसत ब्याज दर ही वह ब्याज दर होगी, जो प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में राज्य भार प्रेषण केंद्र / छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, कंपनी पर लागू होगी।

परंतु यदि किसी वर्ष विशेष के लिए ऋण नहीं लिया गया हो, लेकिन यदि मानक ऋण बकाया हो, तो ब्याज को उपलब्ध अंतिम भारित औसत दर (Weight average rate) पर माना जावेगा।

(5) ऋणों पर ब्याज की गणना, उस वर्ष के मानक ऋण पर, भारित औसत ब्याज दर के आधार पर, की जावेगी।

- (6) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, ऋण की पुर्न प्राप्ति के लिए उस सीमा तक हर संभव प्रयास करेगी कि इसका परिणाम ब्याज में शुद्ध बचत के रूप में हो, और उस परिस्थिति में ऋण की पुर्न प्राप्ति से संबंधित समस्त व्यय, राज्यांतरिक क्रेताओं तथा विक्रेताओं द्वारा वहन किये जावेंगे तथा शुद्ध वचत को राज्यांतरिक क्रेताओं सहित विक्रेताओं और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी के मध्य, जैसा भी मामला हो, 1:1 के अनुपात में बांटा जावेगा। यह प्रावधान केवल उन्हीं राज्यांतरिक व्यक्तित्वों पर लागू होगा जो राज्य भार प्रेषण केंद्र से दीर्घावधिक सेवाएं ले रहे हो।
- (7) ऋण की शर्तों एवं निबंधनों में परिवर्तन पुनः ऋण प्राप्ति के दिनांक से प्रभावी होंगे ।
- (8) किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में पक्षकारों, में से कोई भी पक्षकार समय-समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्यसंचालन विनियम) 2009 एवं अन्य विधि विधानों के अनुसार विवाद के निराकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।
- परंतु, ऋण की पुर्न प्राप्ति से उत्पन्न किसी विवाद के लंबित रहने के दौरान राज्यांतरिक व्यक्तित्व, राज्यांतरिक क्रेताओं, विक्रेताओं और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, द्वारा मांगे गये ब्याज के किसी भुगतान को नहीं रोकेगा।

14. अवमूल्यन (मूल्यह्रास)

- (1) मूल्यहास की गणना हेतु आधार मूल्य, परिसंपत्तियों की वह पूंजी लागत होगी, जो आयोग द्वारा मानी गई हो।
- (2) किसी परिसंपत्ति (आई टी से संबंधित उपकरण व साफ्टवेयर को छोड़ कर) का नाम-शेष मूल्य (Salvage value) उस संपत्ति के पूंजी लागत का 10% मान्य किया जावेगा और मूल्यहास अधिकतम 90% तक किये जाने की अनुमति होगी। आई.टी. उपकरण व साफ्टवेयर का नाम-शेष मूल्य (Salvage value) शून्य मानते हुए इनके लिए परिसंपत्ति के पूंजी मूल्य के 100 प्रतिशत का मूल्यहास मान्य होगा।
- (3) भूमि को अवमूल्यनीय परिसंपत्ति नहीं माना जावेगा तथा संपत्ति के मूल्यहास की गणना करते समय भूमि का मूल्य उस संपत्ति के पूंजी मूल्य से कम कर दिया जावेगा।
- (4) राज्य भार प्रेषण केंद्र की परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास की गणना वार्षिक रूप से सरल रेखीय विधि (Straight Line Method) और इन विनियमों के परिशिष्ट एक में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर की जावेगी। केंद्रीय आयोग द्वारा समय पर निर्धारित मूल्यहास दर को मान्य किया जावेगा।
- (5) पूर्ण रूप से अवमूल्यित की गई परिसंपत्तियों को अलग से दर्शित किया जावेगा।
- (6) ऐसी परिसंपत्तियां, जो उपयोग में नहीं हैं, या, जो अप्रचलित घोषित कर दी गई हो, उन्हें मूल्यहास की गणना हेतु पूंजी लागत से पृथक कर दिया जावेगा।
- (7) स्थानांतरण दिवस पर मूल्यहास के उपरांत अवशेष मूल्य की गणना, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, के लेखा पुस्तिका में राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए दर्शाई गई परिसंपत्तियों के सकल अवमूल्यन में से दर्शित कुल मूल्य हासीय

मूल्य (Gross depreciable value)में से मूल्यहासित मूल्य (Cumulative value) घटा कर की जावेगी।

15. संचालन व संधारण व्यय (मानव संसाधन व्यय को छोड़ कर)

- (1) वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 तक के अंकेक्षित/अनंकेक्षित तुलन पत्र (बैलेस शीट) के आधार पर, उन वर्षों का वास्तविक संचालन एवं संधारण व्यय ज्ञात कर, उनके आधार पर, नियंत्रण अवधि के वर्षों का संचालन एवं संधारण व्यय, (मानव संसाधन व्यय को छोड़ कर) निकाला जावेगा। आयोग सावधानीपूर्वक जांच के उपरांत असामान्य संचालन एवं संधारण व्ययों, दान, भण्डार-हानि, पूर्व अवधि के समायोजन, अपलेखित किये हुए दावे एवं अग्रिम, प्रावधान इत्यादि यदि कोई हो, तो उन्हें छोड़कर यथोचित (सामान्य) संचालन एवं संधारण व्यय ज्ञात करेगा।
- (2) सावधानीपूर्वक जांच के उपरांत निकाले गये उपरोक्त 2005-06 से 2009-10 तक के सामान्य संचालन एवं संधारण व्यय, आधार-वर्ष 2010-11 के लिए संचालन एवं संधारण व्यय का आधार बनेंगे। आधार वर्ष के ये सामान्य संचालन एवं संधारण व्यय, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के व्ययों को, प्रदर्शित करने हेतु उपयोग में लाये जावेगे।
- (3) नियंत्रण अवधि के दौरान, आधार वर्ष के बाद के प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के, स्वीकार्य संचालन एवं संधारण व्यय, वर्ष 2010-11 के संचालन व संधारण व्ययों को 5.72 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ाते हुए ज्ञात किये जावेंगे।
- (4) पश्चात्वर्ती नियंत्रण अवधियों के लिए संचालन एवं संधारण व्ययों को उपरोक्त विनिर्दिष्ट सिद्धांतों एवं विधि का प्रयोग करते हुए परिगणित किया जावेगा।

16. मानव संसाधन व्यय

- (1) वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 तक के अंकेक्षित/अनंकेक्षित तुलन पत्र (बैलेस शीट) के आधार पर, उन वर्षों का वास्तविक मानव संसाधन व्यय ज्ञात कर, उनके आधार पर, नियंत्रण अवधि के वर्षों का मानव संसाधन व्यय निकाला जावेगा। आयोग सावधानीपूर्वक जांच के उपरांत असामान्य मानव संसाधन व्ययों, अनुग्रह राशि अदायगी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना व्यय, पूर्व अवधि के समायोजन, अपलेखित किये हुए दावे एवं अग्रिम, प्रावधान इत्यादि यदि कोई हो, तो उन्हें छोड़कर यथोचित (सामान्य) मानव संसाधन व्यय व्यय ज्ञात करेगा।
- (2) सावधानीपूर्वक जांच के उपरांत निकाले गये उपरोक्त 2005-06 से वर्ष 2009-10 तक के सामान्य मानव संसाधन व्यय, आधार-वर्ष 2010-11 के लिए मानव संसाधन व्यय का आधार बनेंगे। पारिश्रमिक का पुनरीक्षण करने का प्रावधान यदि कोई हो तो, उसे भी आधार वर्ष 2010-11 के मानव संसाधन व्यय ज्ञात करने हेतु ध्यान में रखा जावेगा। ये सामान्य मानव संसाधन व्यय, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के व्ययों को, प्रदर्शित करने हेतु उपयोग में लाये जावेगे।
- (3) नियंत्रण अवधि के दौरान, आधार वर्ष के बाद के प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के, स्वीकार्य मानव संसाधन व्यय, वर्ष 2010-11 के मानव संसाधन व्ययों को 5.72 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ाते हुए ज्ञात किये जावेंगे।

परंतु, यह कि वर्ष 2011-12 के लिए मानव संसाधन व्यय निर्धारित करते समय कर्मचारी व्यय में वेतन पुनरीक्षण के लेखे होने वाली समुचित वृद्धि को ध्यान में रखकर उसे पुनः युक्तिसंगत बनाया जावेगा।

- (4) पश्चात्वर्ती नियंत्रण अवधियों के लिए मानव संसाधन व्ययों को उपरोक्त विनिर्दिष्ट सिद्धांतों एवं विधि का प्रयोग करते हुए परिगणित किया जावेगा।

17. क्रियाशील पूंजी पर ब्याज

(1) क्रियाशील पूंजी में:—

(i) एक माह का संचालन एवं संधारण खर्च, मानव संसाधन खर्च को छोड़कर;

(ii) एक माह का मानव संसाधन खर्च; तथा

(iii) आयोग द्वारा यथा अनुमोदित तंत्र संचालन प्रभार एवं बाजार संचालन प्रभार के रूप में दो माह की प्राप्तियों के बराबर राशि; आयेगी

(2) क्रियाशील पूंजी पर ब्याज दर मानक आधार पर होगी और यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, नियंत्रण अवधि के प्रथम वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन अल्पावधिक ऋणों हेतु घोषित, प्रधान ब्याज दर, के बराबर होगी।

(3) इस बात के होते हुए भी कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी ने क्रियाशील पूंजी हेतु किसी बाहरी संस्थान से ऋण न लिया हो, क्रियाशील पूंजी पर ब्याज मानक आधार पर देय होगा।

अध्याय—4

शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण (लेव्ही) तथा संग्रहण

18. संग्रहण

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, इन विनियमों के अधीन निर्धारित किये जाने वाले शुल्क एवं प्रभार संग्रहीत करेगी।
- (2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, राज्यांतरिक उपयोगकर्ताओं (प्रचुर मात्रा में उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं तथा केप्टिव उपयोगकर्ताओं को छोड़कर) उपयोगकर्ता पर पंजीयन शुल्क का उद्ग्रहण कर उसका संग्रहण करेगी और राज्यांतरिक क्रेता, राज्यांतरिक विक्रेता और राज्यांतरिक व्यक्तियों जैसा की इन विनियमों विनिर्दिष्ट हो, पर प्रभार का उद्ग्रहण कर उसे संग्रहीत कर सकेगी। पंजीयन शुल्क उन से का उद्ग्रहण व उनसे संग्रहीत नहीं किया जावेगा जिन्हें ये विनियम 2(2) के प्रावधानों के अनुसार लागू नहीं होते।
- (3) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, राज्यांतरिक उपयोगकर्ता राज्यांतरिक व्यक्तियों, राज्यांतरिक क्रेताओं, राज्यांतरिक विक्रेताओं पर उन्हें कंपनी द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाओं एवं विद्युत-विनिमयों (Power Exchange) जैसाकि किन्हीं अन्य विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, के लिए शुल्क एवं प्रभार आरोपित करने तथा उनका संग्रहण करने हेतु सक्षम होगी।

19. तंत्र संचालन एवं बाजार संचालन कृत्यों के लिए वार्षिक प्रभारों के तत्वों का आबंटन तथा विभाजन

- (1) राज्य तंत्र संचालन कृत्य के मद में वार्षिक प्रभार हेतु देय वार्षिक प्रभारों की 80 प्रतिशत राशि सम्मिलित होगी।

- (2) राज्यांतरिक बाजार संचालन कृत्य के मद में वार्षिक प्रभार हेतु देय वार्षिक प्रभारों की 20 प्रतिशत राशि सम्मिलित होगी।
- (3) वार्षिक प्रभारों का तंत्र संचालन प्रभारों एवं बाजार संचालन प्रभारों में आबंटन का अनुपात, आयोग द्वारा, समय-समय पर पुनर्विलोकित एवं निर्धारित किया जावेगा।
- 20. तंत्र संचालन प्रभारों (एस.ओ.सी) तथा बाज़ार संचालन प्रभारों (एम.ओ.सी.) का निर्धारण**
- इन विनियमों के विनियम 19 में यथा विनिर्दिष्ट तंत्र संचालन प्रभारों एवं बाजार संचालन प्रभारों का निर्धारण, वार्षिक प्रभारों के आबंटित और/या विभाजित विभिन्न अवयवों का, योग कर किया जावेगा।

21. तंत्र संचालन प्रभारों का संग्रहण

- (1) तंत्र संचालन प्रभारों का संग्रहण निम्नलिखित मानकों के अनुसार किया जावेगा:—
- (i) राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम से ईतर): तंत्र संचालन प्रभारों का 10 प्रतिशत
- (ii) राज्यांतरिक विक्रेता (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों को छोड़कर) तंत्र संचालन प्रभारों का 45 प्रतिशत
- (iii) राज्यांतरिक क्रेता (प्रचुर मात्रा में विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं तथा क्वैटिव उपयोगकर्ताओं को छोड़कर) तंत्र संचालन प्रभारों का 45 प्रतिशत

परंतु, यह कि, यदि राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम से ईतर) राज्य भार प्रेषण केंद्र की सेवाएं नहीं ले रहा हो तो, ऐसी दशा में तंत्र संचालन प्रभार राज्यांतरिक क्रेताओं तथा विक्रेताओं से निम्नलिखित मानकों के अनुसार संग्रहीत किया जावेगा:-

- (i) राज्यांतरिक विक्रेता (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों को छोड़कर) तंत्र संचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत।
 - (ii) राज्यांतरिक क्रेता (प्रचुर मात्रा में विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं तथा केप्टिव उपयोगकर्ताओं को छोड़कर) तंत्र संचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत।
- (2) राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम से ईतर): पर भारित किया जाने वाला तंत्र संचालन प्रभार, देयक के महीने के पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन उनके स्वामित्व की विद्युत लाईन के सर्किट प्रति किलोमीटर के आधार पर उद्ग्रहित किया जायेगा।
- (3) राज्यांतरिक विक्रेताओं से संग्रहीत किया जाने वाला तंत्र संचालन प्रभार उनके द्वारा राज्य पारेषण तंत्र के उपयोग हेतु अनुबंधित क्षमता के अनुपात में लिया जायेगा।
- (4) राज्यांतरिक क्रेताओं से संग्रहीत किया जाने वाला तंत्र संचालन प्रभार उनके द्वारा राज्य पारेषण तंत्र के उपयोग हेतु अनुबंधित क्षमता के अनुपात में लिया जायेगा।

नोट- उपरोक्त प्रावधान नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्रों, प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं और केप्टिव उपयोगकर्ताओं को

लागू नहीं होंगे। ये प्रभार उन अन्य राज्यांतरिक क्रेताओं और राज्यांतरिक विक्रेताओं को भी लागू नहीं होंगे, जो अल्पावधिक मुक्त उपयोग मार्ग से विद्युत की मात्रा का अर्जन या विक्रय करते हो।

22. बाज़ार संचालन प्रभारों का संग्रहण – बाज़ार संचालन प्रभारों का संग्रहण सभी राज्यांतरिक विक्रेताओं एवं राज्यांतरिक क्रेताओं से समान रूप से किया जावेगा, भले ही उनकी अनुबंधित क्षमता कुछ भी हो।

नोट— उपरोक्त प्रावधान नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्रों, प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं और केप्टिव उपयोगकर्ताओं को लागू नहीं होंगे। ये प्रभार उन अन्य राज्यांतरिक क्रेताओं और राज्यांतरिक विक्रेताओं को भी लागू नहीं होंगे, जो केवल अल्पावधिक मुक्त उपयोग मार्ग से विद्युत का अर्जन या विक्रय करते हो। परंतु यदि राज्यांतरिक विक्रेता कोई उत्पादन कंपनी हो तो, उसे उत्पादन केंद्रवार प्रभारों का भुगतान करना होगा।

23.(1) अन्य सभी मुक्त उपयोग ग्राहकों (राज्यांतरिक क्रेता एवं राज्यांतरिक विक्रेता), जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते, के लिए शुल्क एवं प्रभार वहीं होंगे, जो केंद्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जावे। (अर्थात् उन राज्यांतरिक व्यक्तित्वों के लिए जो अल्पावधिक अंतर्राज्यीय मुक्त उपयोग की सुविधा लेते हैं)

(2) ऐसे प्रभारों का, जो अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों से संग्रहीत किये जावे, 50% राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा अपने पास रखा जावेगा और उसे राज्य भार प्रेषण विकास निधि में जमा किया जावेगा। अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों से अर्जित राजस्व के लिए राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा एक पृथक खाता संधारित किया जावेगा। शेष 50% राशि का समायोजन उन प्रभारों हेतु किया जावेगा, जो राज्यांतरिक क्रेताओं, राज्यांतरिक विक्रेताओं एवं राज्यांतरिक व्यक्तित्वों द्वारा राज्य प्रेषण केंद्र की दीर्घावधिक सेवाओं हेतु दिया जाता है।

24. पंजीयन शुल्क

- (1) सभी राज्यांतरिक उपयोगकर्ता (प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं तथा केप्टिव उपयोगकर्ता को छोड़कर), जो राज्यांतरिक पारेषण तंत्र या वितरण तंत्र से संयोजित होना चाहते हो, उन्हें, इन विनियमों के परिशिष्ट II में विनिर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन कर, राज्य भार प्रेषण केंद्र में स्वयं को पंजीबद्ध कराना होगा।
- (2) विद्युत उत्पादन कंपनियों (केप्टिव उत्पादन संयंत्रों सहित) का पंजीयन हेतु आवेदन, 50 मेगावाट या उससे अधिक की स्थापित क्षमता के लिए रु.10 लाख अथवा यदि स्थापित क्षमता 50 मेगावाट से कम हो तो रु. 5 लाख के शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

परंतु, नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन कंपनियां अपने उत्पादन केंद्रों को राज्य भार प्रेषण केंद्र में पंजीकृत करने हेतु रु. 2 लाख का शुल्क अदा करेगी। (चाहे स्थापित क्षमता कुछ भी क्यों न हो) ऐसी कंपनियों को, उनके संयंत्रों

का नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित उत्पादन केंद्र होने संबंधी विहित प्रमाण पत्र, जो राज्य की नोडल एजेंसी अर्थात् छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा जारी किया गया हो, जमा करना होगा।

- (3) उन अनुज्ञप्तिधारियों और राज्यांतरिक व्यक्तित्वों, जो राज्य भार प्रेषण केंद्र की सेवाएं प्राप्त करते हो, के लिए शुल्क रू. 10 लाख होगा। विद्यमान अनुज्ञप्तिधारियों और राज्यांतरिक व्यक्तित्वों को यह पंजीयन शुल्क, इन विनियमों के लागू होने से, दो माह के भीतर पटाना होगा।
- (4) विद्यमान विद्युत उत्पादन कंपनियों (केप्टिव उत्पादन संयंत्रों सहित) को, जो राज्यांतरिक पारेषण तंत्र या वितरण तंत्र संयोजित हो, दो माह के भीतर राज्य भार प्रेषण केंद्र को पंजीयन हेतु आवेदन, इन विनियमों के लागू होने के दो माह के भीतर देना होगा तथा यह आवेदन 50 मेगावाट या उससे अधिक की स्थापित क्षमता के लिए रू.10 लाख अथवा यदि स्थापित क्षमता 50 मेगावाट से कम हो तो रू. 5 लाख के शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (5) विद्यमान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन कंपनियों को अपने विद्युत उत्पादन केंद्रों का पंजीयन, इन विनियमों के लागू होने के दो माह के भीतर रू. दो लाख (चाहे स्थापित क्षमता कुछ भी क्यों न हो) का शुल्क पटा कर राज्य भार प्रेषण केन्द्र में कराना होगा। उन्हें क्रेडा द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन केंद्र होने का नवीनतम प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

- (6) यदि विद्यमान राज्यांतरिक उपयोगकर्ताओं अथवा राज्यांतरिक व्यक्तित्वों अथवा विद्युत उत्पादन केंद्रों (केप्टिव उत्पादन संयंत्रों सहित), अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा पंजीयन शुल्क पटाने में चूक की जाती है तो राज्य भार प्रेषण केंद्र इस संबंध में आयोग से संपर्क कर सकेगा।
- (7) राज्य भार प्रेषण केंद्र, आवेदन की छान-बीन करने के उपरांत, यदि उसमें दी गई जानकारियों की सत्यता से संतुष्ट हो तो, वह अपनी पंजी में आवेदक को विधिवत् पंजीबद्ध करेगा एवं इसकी सूचना आवेदक को देगा।
- (8) पंजीयन शुल्क अदा करने के पश्चात् वापसी योग्य नहीं होगा। यदि कोई उत्पादन कंपनी, जो 50 मेगावाट क्षमता से कम की हो अपनी क्षमता बढ़ाकर 50 मेगावाट या उससे अधिक करती है तो उसे पंजीयन शुल्क के अंतर की राशि रु. 5 लाख जमा करानी होगी।
- (9) राज्य भार प्रेषण केंद्र पंजीकृत राज्यांतरिक उपयोगकर्ता की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा। राज्य भार प्रेषण केंद्र प्रतिवर्ष अप्रैल माह के अंत में राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और वितरण तंत्र से संयोजित एवं उसके द्वारा जिन्हें सेवाएं प्रदान की जा रही हो अथवा उनका अनुशीलन (मॉनीटरिंग) किया जा रहा हो, ऐसे सभी विद्युत उत्पादन केंद्रों/अनुज्ञप्तिधारियों की संग्रहीत जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (10) राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा पंजीकरण अथवा नवीनीकरण का कोई आवेदन, अनुबंधित/स्थापित क्षमता में वृद्धि/कमी की दशा में अस्वीकृत कर दिया जाता है,

तो वह इसकी सूचना, ऐसे आवेदन की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर उसके कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदक को प्रदान करेगा।

नोट— सभी राज्यांतरिक उपयोगकर्ताओं (प्रचुर मात्रा में उपयोग करने वाले उपभोक्ता एवं केप्टिव उपभोक्ताओं को छोड़कर) का राज्य भार प्रेषण केंद्र में पंजीकृत होना आवश्यक होगा। इनमें उत्पादन संयंत्र, केप्टिव उत्पादन संयंत्र, राज्य ग्रिड से सीधे संयोजित सभी अनुज्ञप्तिधारी और अन्य राज्यांतरिक व्यक्तित्व सम्मिलित होंगे।

अध्याय 5

देयक बनाना तथा अन्य विविध प्रावधान

25. देयक बनाना एवं प्रभारों का भुगतान

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कंपनी, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार तंत्र संचालन प्रभारों तथा बाजार संचालन प्रभारों के लिए मासिक आधार पर देयक तैयार करेगी और संबंधित राज्यांतरिक व्यक्तित्वों द्वारा उसका भुगतान सीधे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कंपनी को किया जावेगा।

- (2) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्कों एवं प्रभारों के भुगतान में लगातार की जाने वाली चूक आयोग के ध्यान में लाई जावेगी।

26. देर से भुगतान के कारण अधिभार

इन विनियम के अधीन देय किसी देयक का भुगतान यदि किसी राज्यांतरिक व्यक्तित्व द्वारा देयक के दिनांक से 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाता तो उस पर 1.25% प्रति माह की दर से विलंबित भुगतान अधिभार भी प्रभावित किया जावेगा।

27. छूट (Rebate)

लेटर आफ क्रेडिट के माध्यम से भुगतान करने पर 2 प्रतिशत की छूट (Rebate) दी जावेगी।

28. शिथलीकरण का अधिकार

आयोग द्वारा स्वयं होकर या किसी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर, प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का तर्क संगत मौका दे कर, उन कारणों को अभिलेखित करते हुए इस विनियम के किसी प्रावधान को शिथिल किया जा सकेगा।

29. व्यावृत्तियां

- (1) इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात आयोग को किसी भी आदेश को पारित करने हेतु प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी,

जो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरुउपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

- (2) इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी उल्लेख केंद्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप किसी प्रक्रिया को अपनाने से आयोग को बाधित नहीं करेगा जो इन विनियमों के किसी उपबंध में फेरबदल करती है और विशेष परिस्थिति की दृष्टि से या लिखित में अभिलिखित किए गये कारणों में किसी ऐसे मामले के वर्ग के संव्यवहार के लिए यदि आयोग आवश्यक या समीचीन समझता हो।
- (3) इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को केंद्रीय अधिनियम के अधीन किसी विषय से संबंधित या किसी शक्ति का प्रयोग करने से, जिसके लिए कोई विनियम निर्मित नहीं किए गए हैं, बाधित नहीं करेगा तथा आयोग ऐसे विषय, शक्ति तथा कृत्य का ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझे कार्यवाही करेगा।

नोट:— इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

**(एन.के.रूपवानी)
सचिव**

मूल्यहास/अवमूल्यन सूची

क्र.	संपत्ति का विवरण	मूल्यहास की दर
		SLM
ए	पूर्ण स्वामित्व की भूमि	0.00%
बी	पट्टे पर धारित भूमि	
ए	भूमि हेतु निवेश	3.34%
बी	स्थान के सफाई की लागत हेतु	3.34%
सी	अन्य संपत्तियां	
ए	भवन और सिविल यांत्रिकी कार्य	
(i)	कार्यालय एवं आवासीय	1.63%
(ii)	संयंत्र एवं उपकरणों का समावेश	3.34%
(iii)	लकड़ी के ढाँचे इत्यादि अस्थायी रूप से खड़े करना	3.34%
(iv)	कच्चे मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्ग	100.00%
(v)	अन्य	1.63%
बी	ट्रांसफार्मर, कियोस्क, उपकेंद्र के उपकरण और अन्य स्थाई उपकरण (संयंत्र के प्रतिष्ठापन सहित)	
(i)	उन प्रतिष्ठापनों सहित, जिनकी रेटिंग 100 के.व्ही या उससे अधिक हो, ट्रांसफार्मरस	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
सी	केबल संयोजनों सहित स्विच गियर	5.28%
डी	प्रकाश अवशोषक	
(i)	केंद्र की भांति	5.28%
(ii)	खम्भे की भांति	5.28%
(iii)	समरूप संघनक	5.28%
ई	बैटरीज़	5.28%
(i)	संलग्न बाक्सों तथा विच्छेदित बक्सों सहित भूमिगत केबल	5.28%
(ii)	केबल नलिका प्रणाली	3.34%
एफ	केबल आधार प्रणाली सहित शिरोपरि लाईने	
(i)	फ्रेबिकेटेड स्टील पर ऐसी लाईने, जो सिरों पर 66 के. व्ही से अधिक के वोल्टेज, संचालित करें	3.34%
(ii)	स्टील के खंभों पर ऐसी लाईने जो सिरों पर 13.2 के. व्ही से अधिक परंतु 66 के.व्ही तक सीमित वोल्टेज संचालित करे	5.28%

(iii)	लौहयुक्त सीमेंट गिट्टी के आधार पर स्थापित स्टील पर लाईने	5.28%
(iv)	उपचारित लकड़ी के आधारों पर लाईने	5.28%
जी	मीटर	5.28%
एच	स्वचालित वाहन	9.50%
आई	वातानुकूलन संयंत्र	
(i)	स्थिर	5.28%
(ii)	संवहनीय	9.50%
जे(i)	कार्यालय के साज सामान तथा उपस्कर	6.33%
(ii)	कार्यालयीन उपकरण	6.33%
(iii)	पुर्जो एवं उपकरणों सहित अंतरिक वायरिंग	6.33%
(iv)	सड़क बत्ती के पुर्जे	5.28%
के	किराये पर उठाये गये उपकरण	
(i)	मोटरो के अतिरिक्त अन्य	9.50%
(ii)	मोटर	6.33%
एल	संचार उपकरण	6.33%
(i)	रेडियो और उच्च आवर्ती परिवहन प्रणाली	6.33%
(ii)	दूरभाष लाईने एवं दूरभाष	6.33%
एम	आई.टी. उपकरण	15.00%
एन	साफ्टवेयर	30.00%
ओ	अन्य संपत्तियां जिनका उल्लेख ऊपर न किया गया हो	5.28%

परिशिष्ट-II
(विनियम 24 के परिपालन में)

1. व्यक्तित्व का नाम (बड़े अक्षरों में):
2. पंजीकृत कार्यालय का पता:
3. वह क्षेत्र जिसके लिए पंजीयन वांछित हो:
4. राज्यांतरिक उपयोगकर्ता की श्रेणी:
 - (i) उत्पादन केंद्र
 - (ii) केप्टिव उत्पादन संयंत्र
 - (iii) नवीनकरणीय स्रोतों वाला उत्पादन संयंत्र
 - (iv) वितरण अनुज्ञप्तिधारी
 - (v) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी
5. राज्यांतरिक उपभोगकर्ता का विवरण (विद्यमान उपयोगकर्ता के लिए विगत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान और पश्चातवर्ती समनुदेश हेतु, यदि कोई हो तो):
 - i. श्रेणी— उत्पादन केंद्र / नवीनकरणीय स्रोतों वाला उत्पादन संयंत्र / केप्टिव उत्पादन संयंत्र
 - ए. कुल स्थापित क्षमता
 - बी. राज्यांतरिक पारेषण के उपयोग हेतु अधिकतम अनुबंधित क्षमता (मेगावाट में)
 - सी. राज्य ग्रिड से अंतर संयोजन का उद्देश्य (कृपया समुचित विकल्प लिखें)
 - (i) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति (दीर्घावधिक अथवा मध्यम अवधि अथवा अल्पावधिक)
 - (ii) केप्टिव उपयोग हेतु आपूर्ति (दीर्घावधिक अथवा मध्यम अवधि अथवा अल्पावधिक)
 - (iii) प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को आपूर्ति (दीर्घावधिक अथवा मध्यम अवधि अथवा अल्पावधिक)
 - (iv) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्यो को आपूर्ति (दीर्घावधिक अथवा मध्यम अवधि अथवा अल्पावधिक)

डी. राज्यांतरिक पारेषण तंत्र से संयोजन का विवरण:

क्र.	(i) अतिउच्चदाब उपकेंद्र का नाम	(ii) वोल्टेज स्तर (कि.वो में)	(iii) क्या विशेष ऊर्जा मापक (प्रमुख) इस स्थान पर स्थापित किया गया है

- ii. श्रेणी – पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्यांतरिक)

ए. उपकेंद्र:

क्र.	उपकेंद्र का नाम	ट्रांसफार्मरों की संख्या	स्विचिंग केंद्र की दशा में कुल योजित प्रबंध क्षमता (एम.व्ही.ए)

बी. पारेषण लाईन:

क्र.	वोल्टेज स्तर (कि. वो में)	पारेषण लाईनों की संख्या	कुल सर्किट किलोमीटर

6. राज्य भार प्रेषण केंद्र से संबंधित मामलों हेतु संपर्क करने योग्य व्यक्ति
- नाम:
 - पदनाम:
 - दूरभाष क्र.:
 - मोबाईल न.:
 - ई मेल का पता:
 - डाक का पता:

उपरोक्त जानकारीयां मेरे ज्ञान व विश्वास में सही है

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

स्थान:
दिनांक:

नाम :
पदनाम :
दूरभाष क्र.: